पत्रांक–अ0स0क0–15–03/2016..........

बिहार सरकार

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

प्रेषक,

आमिर सुबहानी

सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी,

जिला :.................................।

पटना–01, दिनांक–...............जुलाई, 2016

विषयः– वक्फ से सम्बंधित कार्यों के निष्पादन के लिए जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारियों को नोडल ऑफिसर नामित करने के सम्बंध में।

महाशय,

बिहार राज्य सुन्नी/शिया वक्फ बोर्ड द्वारा गठित जिला औकाफ समिति के समन्वय से वक्फ सम्पत्तियों से सम्बंधित कार्यों के निष्पादन हेतु निम्नलिखित दिशा–निर्देश जारी किया जाता है :–

(i) जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी अपने–अपने जिले के वक्फ के मामलों के नोडल ऑफिसर होंगे।

(ii) नोडल ऑफिसर वक्फ सम्पत्तियों के संवर्धन/संरक्षण में जिला वक्फ कमिटियों को सहयोग प्रदान करेंगे तथा उनसे समन्वय स्थापित कर वक्फ के कार्यों का यथासंभव निष्पादन करेंगे।

(iii) जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, जिला प्रशासन एवं जिला वक्फ कमिटी के बीच कड़ी का कार्य करेंगे। वे वक्फ सम्पत्ति से अतिक्रमण हटाने हेतु जिला प्रशासन से सक्रिय सहयोग प्राप्त करेंगे।

(iv) जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी अपने कार्यालय परिसर में जिला औकाफ कमिटी के कार्यालय हेतु एक स्थान/कमरा आवंटित करेंगे जिसमें एक टेबुल, कुछ कुर्सियाँ तथा एक आलमीरा उपलब्ध करायेंगे।

(v) जिला औकाफ समितियों द्वारा प्रेषित पत्रों का टंकण जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय के कम्प्यूटर ऑपरेटर द्वारा किया जाएगा एवं पोस्टेज शुल्क तथा कार्यालय व्यय आदि की व्यवस्था बिहार स्टेट सुन्नी वक्फ बोर्ड के द्वारा किया जायेगा। इसके लिए बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड 'जिला औकाफ कमिटी' को राशि उपलब्ध करायेगा।

(vi) जिला औकाफ समिति के कार्यों के निष्पादन हेतु एक उर्दू अनुवादक, एक सहायक उर्दू अनुवादक एवं एक टंकक की प्रतिनियुक्ति जिला पदाधिकारी द्वारा की जायेगी। जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी से समन्वय कर कर्मियों की प्रतिनियुक्ति कराना सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन

ह0/–

(आमिर सुबहानी)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–अ0स0क0–15–03/2016..........................पटना–01, दिनांक–...................जुलाई, 2016

प्रतिलिपिः– सभी जिला पदाधिकारी, जिला–........................../सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमण्डल–...................को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

सरकार के प्रधान सचिव।

कृ0पृ0उ0...

(५)

ज्ञापांक–अ0स0क0–15–03 / 2016..........................पटना–01, दिनांक–...................जुलाई, 2016

प्रतिलिपिः– मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य सुन्नी / शिया वक्फ बोर्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0 / –

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–अ0स0क0–15–03 / 2016......2052......पटना–01, दिनांक–......28......जुलाई, 2016

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री के आप्त सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।

28.7.16